देवीदास
V/S
251A/2017 प्रेमकंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
2/06/2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली मे आदेश 22 नि0 4 के समन रजीस्टर्ड डाक से तामील कराने बाबत कई बार आदेश दिये गये। अन्तिम अवसर भी दिये गये परन्तु आदिनांक तक समन तामील नही हुये। आज पेशी को भी आवाज लगवाई गई मगर अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित नही होने से समन प्रोसेस पेश नहीं कर पाये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 No. 3 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक 2 थे व उनका पता - श्रीमती कमला पिता बंशीदास जी बैरागी पत्नी गोपाल दास बैरागी उम्र 58 वर्ष निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर था। इस न्यायालय में पेश अपील में Res No. 3 का पता - निवासी नेगडीया तहसील डूंगला जिला-उदयपुर अंकित है। जबकि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 14/09/2020 को प्रस्तुत संशोधित उनवान मे Res. No-3 के वारिसान के पते - निवासी बलीचा तहसील धारियावाद जिला उदयपुर (राज0) अंकित है जबकि तहसीलदार धारियावाद का पत्र दिनांक 22.11.2021 के अनुसार बलीचा तह0 धारियावाद में नही आता यह उदयपुर जिले की लसाडीया तहसील में आता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अलग-अलग पते दिये जा रहे है और समन प्रोसेस भी काफी लम्बे समय दिनांक 14.9.2020 से लम्बित है। ऐसे हालात में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के	

251A/2017 देवीदास V/S प्रेमदास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधानों की रोशनी में यह अपील रेस्पोंडेंट संख्या 3 (मृतक) के प्रस्तावित वारिसानों के विरुद्ध खारिज की जाती है। चूंकि रेस्पोंडेंट संख्या-3 के वारिस के अभाव में इस अपील में अन्तिम निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः अपील इसी स्तर पर सारहीन हो जाती है। अतः इसी स्तर पर अपील निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 2/6/2023 राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible]	